



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आषाढ़, 1945 (श०)

संख्या - 390 राँची, गुरुवार,

6 जुलाई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

9 जून, 2023

संख्या-5/आरोप-1-22/2018-21571 (HRMS)--श्री गौरांग महतो, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-855/03) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के विरुद्ध उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-769, दिनांक 27.08.2018 द्वारा प्रपत्र-क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध रामगढ़ जिला अंतर्गत रामगढ़ प्रखण्ड के नरेगा योजना सं०-07/2006-07 के क्रियान्वयन से पूर्व योजना स्थल की भूमि की जाँच नहीं करने, उप विकास आयुक्त द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति आदेश के शर्त/निर्देश का अनुपालन नहीं करने, योजना स्थल पर कार्य नहीं होने से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद भी 13,100/- रुपया का भुगतान करने एवं राजस्व की क्षति होने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों पर श्री महतो से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, रामगढ़ से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-26958(HRMS) दिनांक 22.11.2019 द्वारा श्री महतो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-76, दिनांक 27.02.2020 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री महतो के विरुद्ध प्रपत्र-क में गठित आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

श्री महतो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति के बिन्दु अंकित करते हुए विभागीय पत्रांक-5278, दिनांक 16.10.2020 द्वारा श्री महतो से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री महतो द्वारा पत्र, दिनांक 10.11.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्री महतो से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री महतो का यह कथन स्वीकार योग्य है कि संबंधित मनरेगा योजना सं०-07/06-07 का कार्य प्रारंभ के पूर्व लाभुक के आवेदन पर संबंधित अंचल अधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था। अंचल अधिकारी द्वारा पाँच वर्षों में योजना स्वीकृति/क्रियान्वयन की जानकारी नहीं दी गई थी। फलस्वरूप श्री महतो द्वारा योजना एकरारनामा के पश्चात् 10 हजार रुपये अग्रिम दी गयी थी एवं कनीय अभियंता तथा पंचायत सेवक के अनुशंसा पर पुनः तीन हजार एक सौ रुपये मजदूरों के भुगतान हेतु दी गई, किन्तु मामला संज्ञान में आने पर अविलम्ब आगे का भुगतान रोक दिया गया। किन्तु इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उक्त योजना में 13,100/- रुपये की भुगतान हुई है। यदि योजना कार्य आरंभ करने के पूर्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा स्थल भ्रमण किया गया होता तो मामला पूर्व में ही संज्ञान में आ जाता। स्पष्ट है कि योजना के कार्यान्वयन में चूक हुई है। फलस्वरूप 13,100/- रुपये का गलत भुगतान हुआ है।

समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए श्री महतो के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-17524(HRMS), दिनांक 06.10.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री महतो का अपील आवेदन राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-3520, दिनांक 21.12.2022 द्वारा विभाग में प्राप्त हुआ। श्री महतो द्वारा समर्पित अपील आवेदन का मुख्य बिन्दु निम्नवत् है-

(i) संबंधित योजना की सामाजिक अंकेक्षण भी हुई थी, जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा दिए गए सूचना से भी स्पष्ट है।

(ii) उपरोक्त भुगतान कनीय अभियंता द्वारा हस्ताक्षरयुक्त मास्टर रौल, मापी पुस्तिका, पंचायत सेवक, पर्यवेक्षक तथा कनीय अभियंता के द्वारा अनुशंसा करने पर ही किया गया था।

(iii) एक बिन्दु जो बार-बार दोहराया जा रही है कि पंचायत सेवक तथा कनीय अभियंता के लिखित आवेदन के बाद भी भुगतान किया गया, वास्तव में सच नहीं है। सच नहीं होने की पुष्टि मास्टर रौल की अवधि, कनीय अभियंता द्वारा समर्पित मापी पुस्त में अंकित तिथि तथा पंचायत सेवक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान हेतु चेक का निर्गत किए जाने से होती है। मास्टर रौल से स्पष्ट है कि दिनांक 01.06.2007 के पूर्व सम्पन्न किए गये कार्य के लिए ही भुगतान किया गया है।

स्थल जाँच नहीं किये जाने से संबंधित आरोप भी सही नहीं है। दिनांक 05.11.2007 को सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, पंचायत सेवक तथा क्षेत्रीय पर्यवेक्षक का आवेदन दिनांक 08.11.2007 को इनके द्वारा seen करते हुए इनकी पूरी टीम सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी-सह-क्षेत्रीय पर्यवेक्षक, प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नामित पदाधिकारी-सह-पंचायत सेवक श्री सहदेव महतो के साथ दिनांक 08.11.2007 को ही स्थल जाँच किया।

(iv) उपरोक्त भुगतान नामित पदाधिकारी (पंचायत सेवक श्री सहदेव महतो) तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया गया था। यह महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दू है, क्योंकि नरेगा अंतर्गत नये तालाब निर्माण योजना के अनुरूप ले आउट स्थल पर कार्य नहीं होने से संबंधित प्रतिवेदन तत्कालीन कनीय अभियंता एवं पंचायत सेवक से प्राप्त होने के बाद भी भुगतान का आरोप लगाया गया है। कथित आवेदन का तिथि 12.06.2007 है, जबकि मास्टर रौल संधारण की तिथि दिनांक (i) 26.04.2007 से 30.04.2007 (ii) 02.05.2007 से 07.05.2007 (iii) 26.04.2007 से 30.04.2007 तथा (iv) 02.05.2007 से 07.05.2007 तक है। उसके बाद किसी तरह का कार्य नहीं किया गया है न तो उसके बाद किसी तरह का कार्य का भुगतान किया गया है तथा M.B.संधारण की तिथि कनीय अभियंता श्री दशरथ प्रसाद द्वारा 13.06.2007 अंकित है।

(v) अकुशल/कुशल मजदूर कार्य की मांग करते हैं तथा नियमानुसार कार्य मजदूरों द्वारा की जाती है, तो नरेगा में भुगतान करना आवश्यक है।

(vi) मास्टर रौल, मापी पुस्त तथा उप विकास आयुक्त की जाँच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मजदूरों ने काम किया था तदनुसार भुगतान किया गया। बाद में सर्टिफिकेट वाद के द्वारा अभिकर्ता से राशि वापस लिया जाना सही था या गलत, महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दू है।

(vii) माननीय लोकायुक्त, राँची से प्राप्त आदेश में यथोचित कार्रवाई का निदेश था, श्रीमती बी० राजेश्वरी, तत्कालीन उपायुक्त, रामगढ़ के द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र-क गठन किया गया था। इनके द्वारा कार्मिक विभाग में समर्पित स्पष्टीकरण के उपरांत श्रीमती बी० राजेश्वरी, तत्कालीन उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा ही प्रतिवेदित आरोपों के विरुद्ध सभी तरह के आरोपों से मुक्त करने की अनुशंसा अपने पत्रांक-659/गो० दिनांक 29.06.2019 द्वारा की गई है।

विभिन्न स्तर से संबंधित आरोपों से मुक्त करने की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद भी असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है, अतः अधिरोपित दण्ड को निरस्त की जाय।

श्री महतो से प्राप्त अपील आवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपील अभ्यावेदन में समर्पित है कि आरोप गठन के पश्चात् उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर तत्कालीन उपायुक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में प्रतिवेदित आरोपों के विरुद्ध सभी तरह के आरोपों से मुक्त करने की अनुशंसा उनके पत्रांक-659, दिनांक 29.06.2019 द्वारा की गयी है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी आरोप प्रमाणित नहीं किया गया है। आरोपी का उक्त कथन स्वीकार योग्य है, परन्तु गठित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण एवं जाँच प्रतिवेदन के

अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोप से संबंधित मनरेगा योजना सं०-07/2006-07 में आरोपी पदाधिकारी द्वारा मो0 13,100/- भुगतान किये जाने के पश्चात् उक्त योजना को बंद की गयी है। स्पष्ट है कि योजना प्रारंभ करने के पूर्व स्थल भ्रमण नहीं किये जाने एवं तालाब योजना का सही स्थल पर Layout नहीं किये जाने के कारण ही उक्त राशि का भुगतान हुआ। समीक्षोपरांत, श्री महतो द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए अधिरोपित दण्ड असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखने के प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रस्ताव को दिनांक 31.05.2023 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृत किया गया है।

अतः श्री गौरांग महतो, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा समर्पित अपील आवेदन को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-17524(HRMS) दिनांक 06.10.2022 द्वारा अधिरोपित दण्ड असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखा जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	GAURANG MAHTO JHK/JAS/54	श्री गौरांग महतो, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा समर्पित अपील आवेदन को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-17524(HRMS), दिनांक 06.10.2022 द्वारा अधिरोपित दण्ड असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखा जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
